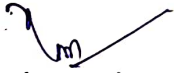


—:: एफ.एम.आई.एस. द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र ::—

आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया है। प्रस्ताव में पंजीयन के उपरांत वेजिटेशन मैप का निर्माण कराया गया था जिसमें रकबा 1.076 हे. अंकित है। स्पष्ट किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में पंजीयन उपरांत चिल्फी परिक्षेत्र के प्रभावित वन भूमि को शामिल किया गया है। इसी के अनुसार इस प्रस्ताव में सामान्य वन मंडल के प्रस्ताव से चिल्फी परिक्षेत्र से संबंधित वेजिटेशन मैप को भी संलग्न किया गया है। इस प्रकार कुल प्रस्तावित क्षेत्र 3.579 हे. का वेजिटेशन मैप संलग्न किया गया है।



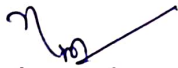
चन्द्रशेखर नेताम  
(कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी)  
कवर्धा वनमंडल कवर्धा



चूड़ामणि सिंह (भा.व.से.)  
वनमंडलाधिकारी  
कवर्धा वनमंडल कवर्धा

—:: आवेदित वनभूमि विवरण का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र ::—

कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमंडल के "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस- "II" के तहत कवर्धा वनमंडल अंतर्गत कुल रकबा 14.105 हे. आवेदित है। जिसमें कवर्धा सामान्य वन मण्डल के अंतर्गत 10.526 हे. तथा भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत 3.579 हे. वन भूमि प्रभावित है। आवेदक द्वारा कवर्धा सामान्य वन मंडल में 13.029 हे. तथा भोरमदेव अभ्यारण्य में 1.076 हे. का पंजीयन कराया गया था किन्तु पंजीयन उपरांत प्रस्ताव तैयार करते समय कवर्धा सामान्य वन मण्डल में जॉच उपरांत चिल्फी परिक्षेत्र 2.503 हे. भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत पाया गया जिसे भोरमदेव अभ्यारण्य के प्रस्ताव में शामिल किया गया है। अतः आवेदक द्वारा ऑनलाइन EDS के पालन में दोनों प्रस्तावों में आवेदित रकबा संशोधित किया गया जो कवर्धा वनमंडल अंतर्गत रकबा 10.526 हे. तथा भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत 3.579 हे. है।



**चन्द्रशेखर नेताम**  
(कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी)  
कवर्धा वनमंडल कवर्धा



**चूड़ामणि सिंह (भा.व.से.)**  
वनमंडलाधिकारी  
कवर्धा वनमंडल कवर्धा